हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 10 अंक : 7 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 जुलाई, 2019

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

नीट: ओबीसी आरक्षण देने पर केन्द्र व राज्य से मांगा जवाब

- याचिका में तर्क दिया गया है कि 102वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति को एक हस्ताक्षरित सूची प्रकाशित करना अनिवार्य था, जिसके तहत उन सभी जातियों का नाम उल्लेखित होना चाहिये था, जो कानूनी तौर पर सरकार द्वारा ओबीसी स्वीकार की गई है।
- परन्तु राष्ट्रपति ने अभी तक यह सूची जारी नहीं की है, अत: याचिका कर्ताओं के अनुसार वर्तमान में अधिकृत रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि कौनसी जाति ओबीसी के अंतर्गत आती है और किसी भी जाति को ओबीसी का आरक्षण पाने का कानूनी अधिकार नहीं है।

जयपुर। जयपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट ने एम.बी.बी.एस. और बी.डी.एस. में प्रवेश के लिए नीट 2019 में ओबीसी वर्ग के अभ्यार्थियों को आरक्षण का लाभ दिये जाने के मामले में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय सचिव, एम.सी.आई. सचिव, नीट चेयरमैन, राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव व नीट काउंसिलिंग बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस जारी किया है।

अदालत ने ये निर्देश जाह्नवी माहेश्वरी एवं समता आन्दोलन की ओर से दायर याचिका में जारी किये है। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील राजेन्द्र प्रसाद और वकील शोभित तिवारी पेश हुये थे।

इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से मूलत: यह कहा गया कि पिछड़े वर्ग के लिए सरकार ने 14 अगस्त 2018 को गजेटेड नोटिफिकेशन के जरिये 102वें संवैधानिक संशोधन को लागू किया था। परन्तु राष्ट्रपति ने इस संवैधानिक संशोधन को लागू करने के लिए ओबीसी वर्ग में आने वाली जातियों की जानकारी देने वाली हस्ताक्षरित सूची पेश नहीं की। याचिका में आगे कहा गया है कि जब तक केन्द्र एवं राज्य को ओबीसी कैटेगरी की लिस्ट पारित नहीं की जाती है तब तक किसी भी अभ्यर्थी को ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण का लाभ दियाजाना गैर संविधानिक और गैर कानूनी होगा।

याचिका में कहा गया है कि 102वें संविधान संशोधन के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर ओबीसी कैटेगरी के वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। साथ ही इस संविधान संशोधन की वजह से नैशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज को संविधानिक दर्जा दिया गया है और राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया है कि वह संसद के दोनों संदनों में नैशनल कमीशन के द्वारा दी गई कोई भी रिपोर्ट पेश करवा सकते है ताकि इन मुद्दों पर चर्चा की जाए और नीतिगत निर्णय लिये जाए।

याचिका में कहा गया है कि 102वें संवैधानिक संशोधन की वजह से केन्द्र व राज्य में ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार केवल संसद और राष्ट्रपति के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं, इसलिए राजस्थान में ओबीसी वर्ग के लिए पहले से चल रहा 21 प्रतिशत आरक्षण वर्तमान में मान्य नहीं है। और जब तक राष्ट्रपति ओबीसी वर्ग में शामिल जातियों की लिस्ट पर हस्ताक्षर नहीं कर देते, तब तक ओबीसी वर्ग को कानूनी तौर पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।

इस संविधान संशोधन के तहत बैकवर्ड क्लासेज को भी काफी विस्तृत तरीके से वर्णित किया गया है। याचिका में कहा गया है कि केन्द्र और राज्य में ओबीसी लिस्ट पेश नहीं किये जाने की वजह से वर्तमान में संवैधानिक तौर पर अनुसूचित जाति व जनजाति और इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लासेज के लिए केन्द्र में 32.5 प्रतिशत आरक्षण है और राजस्थान में 38 प्रतिशत आरक्षण है, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए 16 प्रतिशत, जनजातियों के लिए 12 प्रतिशत और इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लासेज के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण है। इस प्रकार राज्य में आरक्षण की सीमा 38 प्रतिशत हो जाती है।

याचिका में आगे कहा है कि नैशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज के तहत केन्द्र व राज्य सरकार को हर 10 साल में ओबीसी वर्ग को दिये आरक्षण को रिव्यु करना आवश्यक है, परन्तु केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने 1994 से लेकर अभी तक एक बार भी ओबीसी वर्ग को दिये गये आरक्षण को रिव्यु नहीं किया है और इस वजह से केवल कुछ क्रीमीलेयर वर्ग को ही इस आरक्षण का फायदा प्राप्त हो रहा है।

नीट परीक्षा पूर्ण होने के बाद ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को दिये गये आरक्षण के लाभ पर प्रश्न उठाते हुये एक याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि उन्हें परीक्षा में 720 में से 633 अंक प्राप्त हुये थे और उन्हें गैर आरक्षित श्रेणी में उन्हें 1647 वीं रैंक प्राप्त हुई है, परन्तु उनकी ऑल इण्डिया रैंक 2341 है, जिससे साबित होता है कि इस वर्ष भी नीट परीक्षा के बाद ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया है। याचिका में आगे कहा गया है कि जब याचिकाकर्ताओं की ओर से आरटीआई में सरकार में केन्द्रीय व राज्य का ओबीसी लिस्ट के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति द्वारा ओबीसी वर्ग के अंतर्गत मानी जाने वाली जातियों की सूची पेश की गई है, तो उन्हें सरकार से कोई जवाब नहीं दिया गया। अदालत ने सभी तर्कों को सुनने के बाद केन्द्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

एससी-एसटी वर्ग में क्रीमीलेयर को आरक्षण क्यों : समता आन्दोलन

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एमबीबीएस काउन्सलिंग 2019 में एससी-एसटी वर्ग के क्रीमीलेयर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने पर केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय सचिव, एमसीआई सचिव, नीट चेयरमैन, राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सहित नीट यूजी काउन्सलिंग बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश संजय निनामा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता शोभित तिवाड़ी ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 अक्टूबर, 2006 को एम. नागराज और गत 26 सितम्बर को जर्नेल सिंह के मामले में आदेश देते हुए एससी-एसटी वर्ग में से क्रीमीलेयर को बाहर करने को कहा था।

याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद भी एमबीबीएस काउन्सलिंग में इन वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की नब्बे प्रतिशत सीटें इस वर्ग के क्रीमीलेयर अभ्यर्थियों को आवंटित की जा रही है। जिसके चलते इन वर्गों के पात्र अभ्यर्थियों को सीटों से वंचित होना पड़ रहा है। साथ ही ऐसा करना असंवैधानिक और अविधिक होते हुए न्यायालय की अवमानना भी है। इसलिए नीट-2019के जरिये होने वाले एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश में एससी-एसटी वर्ग की क्रीमीलेयर को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

आंकड़े कहते हैं-आरक्षण बन्द

केन्द्र सरकार ने 76 मंत्रालयों और उनके अधीन काम कर रहे कार्यालयों में जातिगत कर्मचारी अधिकारी के आरक्षण से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय कार्मिक मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सदन के पटल पर रखकर सच का पर्दा उठा दिया है।

एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि एकत्रित किये गये आंकड़ों के अनुसार केन्द्र सरकार में क्रमश: एसटी(7.5 प्रतिशत), एससी (15 प्रतिशत) के स्थान पर कर्मचारियों अधिकारियों की संख्या का प्रतिशत एसटी में 8.47 एवं एससी में 17.49 प्रतिशत हो चुका है जो निर्धारित से कही ज्यादा है। ओबीसी के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत में से 21.57 प्रतिशत कर्मचारी वर्तमान में उपस्थित है।

यह आंकड़ा आनुपातिक आंकड़ों से कहीं अधिक हो गया है। मंत्री जी द्वारा संदन के पटल पर रखे गये आंकड़े तीन साल पहले के है। इसके बाद तो इस प्रतिशतता में असंदिग्ध रूप से बढातरी हुई ही होगी।

आंकड़े तो यही बताते है कि अब जातिगत आरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष की कलम से

हम जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे

साथियों, हम न थकेंगे न रूकेंगे। ई.डब्ल्यू.एस. का आरक्षण दे तो दिया गया है लेकिन इस यथार्त के धरातल पर उतारना आसान नहीं है। अपनी समतावादी विचारणा के अनुसार समता आन्दोलन ने इस तरफ भी अपनी सक्रियता दिखाई है।

यह बात कई लोगों को चौंका सकती है कि लगभग एक ढेड महिने के अन्तराल में इस संदर्भ में छः रिटे राजस्थान हाईकोर्ट में लगाई गई है, जिनमें से कतिपय पर नोटिस भी इश्यू हो चुके है।

हमारा संघर्ष संविधानिक शूचिता बनाये रखने के लिए है। इसके लिए हमें कई तरह के खट्टे-मीठे ही नहीं बल्कि कड़वे अनुभवों से भी गुजरना पड़ता है। हालांकि हमारी सोच को प्रदेश के बड़े अखबार राजस्थान पत्रिका ने सम्पादकीय लिख कर प्रमाणित किया है। फिर भी अपने सदस्यों को याद दिलाना जरूरी मानते है कि 102वें और 103वें संविधान संशोधनों को जिस स्तर पर समझा जाना चाहिये था वहां तक शायद इन्हें या तो पढ़ा नहीं गया है और यदि पढ़ा गया है तो शीघ्रता में पढ़ा गया है। ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण हमें देखने को मिला है।

देश में न्यायपालिका को बहुत शक्तियाँ प्राप्त है, बल्कि इतनी शक्तियाँ प्राप्त है कि उन पर महाभियोग के अलावा कोई प्रश्न भी नहीं उठा सकता। इन हालातों में केवल मात्र विनम्रता, विनय तथा तथ्यों की उपस्थिति ही हमें आत्मबल और जीतने का संकल्प देते है। कदम-कदम पर सच को परीक्षा देनी पड़ती है। यह सुना भर था, लेकिन अब प्रत्यक्ष देख रहे है। लेकिन जानते है कि हम जितेंगे।

सम्पादकीय

..... प्रश्न तो बनता है !

देश बहुत बड़ा विचार होता है। धरती का टुकड़ा कभी भी देश नहीं होता। उसे देश बनाती और मनवाती है वहाँ की जनता। विशेषकर भारत के संदर्भ में देखें तो एकदम ताजा उदाहरण हैं कि आजादी के समय लगभग साढे छः सौ रियासतें थी। यदि सरदार वल्लभभाई पटेल उनका ऐकीकरण न करते तो क्या आज का देश वैसा ही होता जैसा है ? आजादी के समय जैसे महान और तपस्वी लोग हमारे देश में थे उसका दस प्रतिशत भी आज शायद ही हो। ये ठीक है कि हमारे पूर्वजों ने एक लचीला संविधान हमें दिया लेकिन उनके उत्तरवर्ती नेताओं ने निजि स्वार्थ के चलते उसे काफी हद तक लचर बना दिया है।

संविधान की संवैधानिक शक्ति को जातिवाद की नागिन ने डसकर अचेतावस्था में पहुँचा दिया है। वर्ना क्या ये संभव था कि मीणा समाज का एकमात्र सांसद संदन में प्रश्न उठाता है कि मीणा जाति को भी आरक्षण की सूची में शामिल किया जाये और देश में कई दशकों तक आरक्षण की मलाई लूटने वाला ये जातीय समाज आज भी लूटता रहे ? प्रश्न किसी एक जातीय समूह का न होकर ऐसे अनेक समूहों का है जो कुल आबादी में तीन प्रतिशत होकर भी 97 प्रतिशत का भाग्य लूट रहे हैं और संसद व उसका मुखिया असहाय होकर देख रहे हैं।

असंदिग्ध रूप में आरक्षण पिछड़ेपन से जूझ रहे जातीय समूहों के संबल रूप में दिया गया था जो आज जातिवाद को बढाने का मुख्य कारक है। बल्कि सच में तो एतिहासिक जातिवाद पौराणिक वर्ण व्यवस्था से भी अधिक भयानक और खतरनाक हो चला है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि नागरिक व्यवस्था के साथ-साथ सरकार और संवैधानिक व्यवस्था को भी भीतर ही भीतर कुतर कर खोखला बना रहा है। यह खोखलापन इस सीमा तक सरकार को पंगु और लाचार बना चुका है कि केन्द्र सरकार का जिम्मेदार मंत्री गंभीर प्रयास करके आँकड़े जुटाता है और संसद के पटल पर गर्व से रखकर कहता है कि देखिये देश में एससी-एसटी के आरक्षण की प्रतिशतता निर्धारित मानदण्डों से कहीं बहुत आगे निकल चुकी है ?

किसी शूरवीर की तरह देश के मुँह पर लगी कालिख का गुणगान करने वाला मंत्री कोई बिल लाकर या संसद में ऐलान मात्र करके सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था बहाल करने की बात नहीं कह पाता है। अब कोई कैसे मान ले कि देश में प्रचण्ड बहुमत की सरकार है ? यदि सरकार और संसद जातिवाद के सामने इस कदर लाचार है तो देश को इनकी आवश्यकता ही क्या है ? कुछ भी कहें, प्रश्न तो बनता है।

जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया

मराठा आरक्षण पर रोक से इनकार : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 13 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मराठा आरक्षण को पूर्व प्रभावी तौर पर लागू करने से इनकार कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने राज्य से मामले में दो हफ्तों में जवाब भी मांगा।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने मराठा आरक्षण कानून क संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के बाम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि मराठा समुदाय को 2014 से पूर्व प्रभावी तौर पर आरक्षण देने वाले हाईकोर्ट के आदेश के पहलू को लागू नहीं किया जाएगा।

पीठ दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। एक याचिका मे जे.लक्ष्मण राव पाटिल ने मराठा आरक्षण बरकरार रखने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने आरक्षण को बरकरार रखते हुए विधानसभा की तरफ से पारित किये गये 16प्रतिशत की दर को कम कर 12-13 प्रतिशत करने को कहा था।

अपील

''समता प्रकाश'' स्मारिका हेतु

समता आन्दोलन भारत का सबसे बडा समतावादी गैर-राजनेतिक संगठन है, जो एक दशक से भारतीय संविधान के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करवाने, सभी नागरिकों को समानता का मूल अधिकार दिलाने,जातिवाद-सम्प्रदायवाद, भ्रष्टाचार आदि बुराइयों से देश को मुक्त कराने के लिए सभी संवैधानिक प्रयासों को अपनाते हुये प्रजातांत्रिक रूप से क्रियाशील है। समता आन्दोलन न केवल राजस्थान अपितु उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडू आदि प्रदेशों में भी जाति आधारित व्यवस्था से अलग समता मूलक समाज की संरचना के लिए काम कर रहा है।

समता आन्दोलन समिति अपनी स्थापना के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में अपनी प्रथम स्मारिका ''समता प्रकाश'' का प्रकाशन करने जा रही है। इस स्मारिका में आरक्षण एवं समतावादी अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी, न्यायिक निर्णयों की जानकारी तथा समता आन्दोलन की 11 वर्षों की गतिविधियों की जानकारी समाहित की जावेगी। इस स्मारिका को राजस्थान सहित कुल 10 राज्यों में 5000 से अधिक प्रतिष्ठित एवं सम्भ्रांत व्यक्तियों को भेजा जावेगा। इस स्मारिका को समता आन्दोलन की वेबसाइट जिसको देखने वालों की संख्या (viewership) 5.00 लाख से अधिक हो चुकी है, पर भी स्थाई रूप से अपलोड किया जावेगा। आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारी प्रथम स्मारिका ''समता प्रकाश'' के लिए अपनी फर्म/ कम्पनी/संस्थान का विज्ञापन देने का अनुग्रह करे। विज्ञापन दरें इस प्रकार है:-

1	मुख्य कवर का पृष्ठ भाग एवं अन्तिम कवर का बाह्य भाग	रूपये 2,50,000/-
2	अन्तिम कवर का अन्दरूनी भाग	रू. 1,50,000/-
3	स्मारिका के अन्दर चिकना पूरा पृष्ठ	रू. 1,00,000/-
4	स्मारिका के अन्दर चिकना आधा पृष्ठ	रू. 50,000/-
5	स्मारिका के अन्दर चिकना चौथाई पृष्ठ	रू. 30,000/-
6	स्मारिका के अन्दर सामान्य पूरा पृष्ठ	रू. 50,000/-
7	स्मारिका के अन्दर सामान्य आधा पृष्ठ	रू. 25,000/-
8	स्मारिका के अन्दर सामान्य चौथाई पृष्ठ	रू. 15,000/-

स्मारिका का आकार ए-4 निर्धारित किया गया है

विज्ञापन एवं विज्ञापन सामग्री के प्रारूप हेतु हमारे प्रान्तीय कार्यालय ''जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नम्बर 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर जयपुर या पी.एन.शर्मा, जयपुर मोबाइल नम्बर 9460385722, कैप्टन गुरविन्दर सिंह, नई दिल्ली मो.न. 9999555726, धर्मवीर सिंह, हरियाणा मो.न. 9355084877, गिरजेश शर्मा, उत्तर प्रदेश 9412445629, धीरज जे. पंचाल, गुजरात मो.न. 9428600409, अशोक शर्मा, मध्यप्रदेश मो.न. 7552576022, वैंकटरमण कृष्णमूर्ति, कर्नाटक मो.न.9538966339, श्रीराम पंसारी, चण्डीगढ मो.न. 9876127663, सी.एम.डिमरी, उत्तराखण्ड मो.न. 9411103390, संजीव शुक्ला, मुम्बई मो.न. 9821390321 या ई-मेल samtaprakash2019@gmail. com पर सम्पर्क कर सकते है।

कृपया चैक/ड्राफ्ट समता आन्दोलन समिति के नाम बनवायें।

हमें विश्वास है कि आपका दिया हुआ विज्ञापन इस राष्ट्रवादी समता आन्दोलन द्वारा चलाये जा रहे समता मूलक समाज की संरचना के सफल प्रयासों में सहयोग का कार्य करेगा।

कुठाराघात !

सरकारों को कम से कम मेडिकल शिक्षा को तो व्यावसायीकरण से बचाना चाहिए। बेहतर चिकित्सक, बेहतर शैक्षणिक पृष्ठभूमि से ही संभव हैं।

केन्द्र व राज्यों की सरकारें यों तो सरकारी स्तर पर चिकित्सा सुविधाएं बढाने का दावा करती है। हर साल करोड़ों रूपये का बजट भी चिकित्सा सुविधाओं के नाम पर रखा जाता है। लेकिन चिकित्सा शिक्षा पर ध्यान देने के बजाय सरकारें एमबीबीएस जैसे अहम पाठ्यक्रम का भी व्यावसायीकरण करने में जुटी हैं। अपने यहां मेडिकल शिक्षा को स्ववित्तपोषित करने के नाम पर राजस्थान समेत कुछ प्रदेशों की सरकारों ने गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी एमबीबीएस में दाखिले के लिए एनआरआई कोटा लागू कर दिया है। जाहिर है, पहले निजी मेडिकल कॉलेजों को एनआरआई कोटे से दाखिले के नाम पर मनमानी फीस वसूलने की छूट देकर अब खुद भी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का दरवाजा धन कुबेरों के लिए खोल रही है। राजस्थान ने तो पहली बार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा लागू किया है। गुजरात, पंजाक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पुड्डुचेरी भी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे से दाखिला दे रहे हैं। यानी इन राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में 3 प्रतिशत से 15 प्रतिशत सीटें उन एनआरआई के लिए आरक्षित होंगी जो बेहिसाब पैसा देकर अपने आश्रितों का दाखिला कराएंगे। अकेले राजस्थान में ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों की कुल 2600 सीटों में से 200 से ज्यादा एनआरआई के लिए आरक्षित रहेंगी। अनुमान है कि करीब 155 करोड़ रूपये इन सीटों पर फीस के रूप में वसूले जाएंगे।

केन्द्र सरकार ने इस वर्ष देश के मेडिकल कॉलेजों में सीटें इसलिए बढ़ाई है ताकि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होने के बाद सीटों का संतुलन बना रहे। बढ़ी हुई सीटों का फायदा उन छात्रों को नहीं मिलेगा जो अपनी योग्यता के आधार पर नीट के जरिए मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता रखते थे। एनआरआई कोटै से अब पैसों के दम पर वे भी दाखिला ले सकेंगे जिन्हें नीट परीक्षा में काफी कम अंक मिले हैं। देश भर में सरकारी स्तर पर मेडिकल शिक्षा के बेहतर प्रबंधन के लिए सिर्फ एम्स जैसे संस्थानों को ही गिना जाता है। इसीलिए नीट परीक्षा में बैठने वालों का ख्वाब एम्स में दाखिले का ही होता है। निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस में दाखिला पहले ही सामान्य वर्ग के बूजे की बात नहीं है। थोड़ी-बहुत राहत की उम्मीद सरकारी मेडिकल कॉलेजों से ही होती है। ऐसे में यहां भी एनआरआई कोटे के नाम पर प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं का हक छीना जा रहा है। सरकारों को कम से कम मेडिकल शिक्षा को तो व्यावसायीकरण के दायरे से बाहर निकालना चाहिए। हमें बेहतर चिकित्सक तब ही मिलेंगे, जब वे बेहतर शैक्षणिक पृष्ठभूमि के होंगे। धन के दम पर एमबीबीएस में दाखिला लेने वाले कैसे डॉक्टर बनेंगे, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है।

''राजस्थान पत्रिका से साभार''

पौराणिक कथन : 'ॐ''

अ+उ+म् - अकारो विष्णुरूद्दिष्ट
उकारस्तु महेश्वरः मकारस्तु स्मृतो
ब्रह्मा प्रणवस्तु त्रयात्मकः। यानि
शिव, ब्रह्मा, वैश्वानर का प्रतीक।

वो चाहते हैं हम रूक जावें,
खड़े-खड़े ही लुट पिट जावें।
उनका सपना अब न फलेगा,
चाहे जितना जोर लगावें।।

'समता आन्दोलन के सदस्य बने और बनाएं'

कविता

नये अछूत

हमको देखो हम सवर्ण हैं,
भारत माँ के पूत है।
लेकिन दुख है अब भारत में-
हम सब नये अछूत हैं।
सारे नियम हर कानून ने,
केवल हमको मारा है।
भारत का निर्माता देखो,
अपने घर में हारा है।
नहीं हमारे लिये नौकरी
सीट नहीं विद्यालय में
न अपनी कोई सुनवाई
संसद औ न्यायालय में
हम भविष्य थे भारत माँ के
आज बने हम भूत हैं
बेहद दुख है अब भारत में
हम सब नये अछूत हैं....।
दलित महज आरोप लगा दे
हमें जेल में जाना है
हम निर्दोष नहीं हैं दोषी
ये सबूत भी लाना है
हम जिनको सत्ता में लाये
छुरा उन्हीं ने भौंका है
काले कानूनों की भट्टी
बस हमको ही झोंका है
किसको चुने किसे हम मत दें
सारे ही यमदूत हैं
बेहद दुख है अब भारत में
हम सब नये अछूत हैं....।
देकर खून पसीना अपना
इस गुलशन को सींचा है
डूबा देश रसातल में जब
हमने बाहर खींचा है
हमने ही भारत भूमि पर
धर्म ध्वजा लहराई है
सोच हमारी नभ को चूमे
बातों में गहराई है
हम हैं त्यागी हम बैरागी
हम ही तो अवधूत हैं
बेहद दुख है अब भारत में
हम सब नये अछूत हैं।।

- सोशल मीडिया से -

भूल सुधार

पिछले अंक में श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने की जो खबर गयी है उसमें पियूष गोयल की जगह **पियूष माथुर** पढा जाये ।

देश के भावी जीवन की नींव: प्रशासन की गुणवत्ता

गतांग से आगे:-

अवसरवादिता का सिद्धांत

हम आखिर किसी व्यक्ति की योग्यता, गुणवत्ता या कुशलता पर जाएँ ही क्यों ? जब पूरी व्यवस्था ही योग्यता-विहीन हो तो व्यक्तिगत योग्यता का क्या अर्थ? किसी उखाड़ फेंकने योग्य व्यवस्था में सेवा करनेवाले लोगों के संदर्भ में योग्यता या कुशलता की माँग करना तो उनकी हठधर्मिता को ही दीर्घ स्थायी बनाने की माँग करने की तरह है।

जी नहीं, यह किसी उन्मादी कट्टरपंथी की टिप्पणी नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय की समय-समय पर की जानेवाली टिप्पणी है। अपने इस सिद्धांत को अधार प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय पिछली आधी शताब्दी के दौरान हुए हमारे एक महान् अवसरवादी राजनेता वी.पी.सिंह के सिद्धांत की बात करता है। वी.पी. सिंह उस समय डर गए थें, जब एक व्यक्ति- जिसे उन्होंने उप-प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया था- ने यह घोषणा कर दी कि वह दिल्ली में विजय चौक पर एक रैली आयोजित करने जा रहा है। भय के कारण उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट का सहारा लिया और आनन-फानन में आरक्षण की घोषणा कर दी। अपनी इस अवसरवादिता को उन्होंने अपना सिद्धांत बनाकर सबके सामने प्रस्तुत किया। संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था-

हम योग्यता, गुणवत्ता की बात करते हैं। हमारी व्यवस्था की क्या गुणवत्ता हैं? यही कि देश कुल जनसंख्या के 52 प्रतिशत हिस्से वाले वर्ग का सरकारी नौकरीयों में केवल 12.55 प्रतिशत हिस्सा है। क्या गुणवत्ता है हमारी व्यवस्था की? यही कि 52 प्रतिशत जनसंख्या में से शीर्ष पदों पर केवल 4.69 प्रतिशत लोग ही पहुँच पाते हैं; सत्ता अधिकार की बात करें तो यह संख्या मुश्किल से 4.69 प्रतिशत होगी। योग्यता अथवा गुणवत्ता के आधार पर किसी व्यक्ति को अधिकृत या वंचित करने के प्रश्न पर आने से पहले मैं स्वयं व्यवस्था की ही गुणवत्ता को चुनौती देना चाहता हूँ। और हम पूरी सतर्कता एवं सजगता से मूल ढाँचे को बदलना चाहते हें। मैं जानता हूँ, इस ढाँचे में बदलाव लाते समय विरोध जरूर होगा।

यह निरा अवसरवादिता थी-उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उस समय तक ऐसी कोई चुनौती नहीं दी। लेकिन इंद्रा साहनी मामले में माननीय न्यायाधीश इस अनुच्छेद को बड़े संतोष के साथ उद्धृत करते हैं।

अपने सिद्धांत को आधार प्रदान करने के लिए न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी आगे न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी आगे न्यायमूर्ति चित्रप्पा रेड्डी की वह टिप्पणी उद्धृत करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि किस प्रकार असली लड़ाई समाज के दो वर्गों के बीच है-एक वर्ग, जो गरीबी, निरक्षरता और पिछडेपन के दलदल में कभी रहा ही नहीं है या उससे निकल चुका है और दूसरा वर्ग, जो आज भी उस दलदल में

अगर ये आयोग ही हमारे लोगों को यह सीख दे पाते कि वे किसी मंत्री या मुख्यमंत्री की जाति न देखकर उसके चरित्र और उसकी योग्यता पर ध्यान दें तो आज शायद हम उस गहरी खाई में गिरने से बच जाते, जिसमें हमारे राजनेता और मंत्री हमें धकेल रहे हैं। खैर, यह बात छोड़ भी दें तो सत्ता-हस्तांतरण की जो बात की जा रही है, वह तो चल ही रहा है, आखिर अलग से आरक्षण की क्या जरूरत आ पड़ी ?

फँसा हुआ है और उससे निकलने को आतुर है; और यह भी कि किस प्रकार बगीचे में फल पर्याप्त न होने के कारण यदि एक वर्ग को ज्यादा फल मिल जाते हैं तो दूसरे को उससे वंचित रहना पड़ता है।

अनुच्छेद 16(4) का संबंध गरीबी निवारण कार्यक्रम से नहीं है। न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत का मानना है कि इसका उद्देश्य आर्थिक उन्नयन नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीयकरण समाज के उस वर्ग तक करना, जिसे उससे वंचित रखा गया है और इस प्रकार उसके शैक्षिक, सामाजिक और अर्थिक पिछडेपन को दूर करना है। और यह वर्ग, जैसा न्यायमूर्ति सावंत कहते है, देश की कुल जनसंख्या के 77.5 प्रतिशत से कम नहीं है।

मामले को दूसरे नजरिए से देखें तो दो समस्याएँ तो पहले ही दूर हो चुकी हैं। पहली, वयस्क मताधिकार को लें, राज्यों में सत्ता हासिल करने के जातिवादी राजनीतिक दलों के तरीके को लें, केंद्र में उनके द्वारा प्राप्त की गई प्रभावशीलता और वर्चस्व को लें। यह भी देखें कि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या के 77 प्रतिशत से भी अधिक है। सब कुछ देखकर क्या लगता नहीं है कि सत्ता पहले ही उनके इर्द-गिर्द केंद्रित हो गई है ? उस संकेतांक को लें, जिसे मंडल आयोग ने इतना बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया है।

आयोग ने उत्तरी और दक्षिणी राज्यों की राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। उसने लिखा है किस प्रकार दक्षिणी राज्यों में उच्च जाति के मंत्रियों-मुख्यमत्रियों का स्थान निम्न जाति के मंत्रियों-मुख्यमंत्रियों द्वारा ले लिया गया है; जबकि उत्तरी राज्यों में ऐसी नहीं है। आज उत्तरी राज्यों में भी यह उद्देश्य पूर्ण हो गया है। सच तो यह है कि केंद्र में उसी का वर्चस्व स्थापित हो पाता है, जो पिछड़ों और पिछड़ेपन की बातें करता है। राज्य विधान परिषदों की तरह ही केंद्रीय विधायिका का स्तर भी इन जातिवादी नेताओं द्वारा नीचे गिरा दिया गया है।

अगर ये आयोग ही हमारे लोगों को यह सीख दे पाते कि वे किसी मंत्री या मुख्यमंत्री की जाति न देखकर उसके चरित्र और उसकी योग्यता पर ध्यान दें तो आज शायद हम उस गहरी खाई में गिरने से बच जाते, जिसमें हमारे राजनेता और मंत्री हमें धकेले रहे हैं। खैर, यह बात छोड़ भी दें तो सत्ता-हस्तांतरण की जो बात की जा रही है, वह तो चल ही रहा है, आखिर अलग से आरक्षण की क्या जरूरत आ पड़ी ?

माननीय न्यायाधीश एक ही बार में अपना भाषण-मार्ग बदल देते हैं, ''राजनीतिक शक्ति स्वयं वास्तविक सत्ता नहीं प्रदान करती है।''- माननीय न्यायाधीश कहते हैं। सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का पिछड़ापन दूर करने के लिए राजनीतिक शक्ति का यथार्थ प्रयोग करना होगा।''(राजनीतिक) शक्ति का प्रयोग करने का एकमात्र ज्ञात माध्यम प्रशासनिक तंत्र ही है।'' माननीय न्यायाधीश दावे के साथ कहते हैं। ''यदि यह (प्रशासन) तंत्र (शक्ति) प्रयोग के अनुकूल न हो तो राजनीतिक शक्ति निष्प्रभावी हो जाती है। यही कारण है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के चौवालीस वर्षों बाद और लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति आ जाने के बावजूद राष्ट्रीय मामलों पर उसी वर्ग का वर्चस्व कायम है, जिसका पहले रहा था।'' इसीलिए आरक्षण भी लगातार जारी रहा है।

योग्यता व गुणवत्ता किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी

एन.एम. थॉमस मामले में न्यायमूर्ति फज़ल अली ने टिप्पणी की थी-क्या वंचित वर्ग को 'छूट और उपयुक्त आरक्षण देकर' समानता 'केवल इसी कारण' सुनिश्चित नहीं कि 'वंचित वर्ग के सदस्य निर्धारित अर्हता अथवा मानदंड स्तर तक नहीं पहुँच सकते? पहला कदम है-निर्धारित अर्हता स्तर को नीचे कर दें; लेकिन हमेशा ध्यान रहे, आप योग्यता अथवा उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए कोई वैकल्पिक उपाय न सुझाएँ, नहीं तो आलोचक आपके प्रस्ताविक अर्हता स्तर की तुलना मौजूदा अर्हता स्तर से करने लगेंगे और फिर यह पूछने लगेंगे कि किस प्रकार आप द्वारा प्रस्तावित अर्हता स्तर बेहतर है। देश के कई हिस्सों में स्थिति यह है कि लोगों के पास परिवहन और संचार के साधनों की बहुत कमी है। उन्हें पर्याप्त स्वास्थ सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं। न्यायमूर्ति फज़ल अली कहते हैं, ''क्या हम यह कह दें कि इन पिछड़े हिस्सों में रहने वाले लोगों को पिछड़ा ही बना रहने दिया जाए?'' लेकिन यह कहा किसने कि इन्हें 'पिछड़ा ही बना रहने दिया जाए'?

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

गुजरात लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया को सही बताने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

आयु में छूट का लाभ पाने वाला आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में नहीं जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। चयन प्रक्रिया में आयु संबंधी छूट का लाभ पाने वाला आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार अगले चरण में सामान्य श्रेणी की सीट पर समायोजित या स्थानान्तरित करने की मांग नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है।

कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) ने राज्य को अधिकार दिया है कि वह किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों को नियुक्तियों में आरक्षण दे सकता है, जिसका वहां नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और इंदिरा बनर्जी की बैंच ने गुजरात हाईकोर्ट का एक फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि आरक्षित श्रेणी की वजह से आयु में छूट का लाभ उठाने वाला उम्मीदवार अगले सभी चरणों में आरक्षित श्रेणी का ही माना जाएगा। कोर्ट का यह फैसला हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए नीरव कुमार दिलीपभाई मकवाना की ओर से दाखिल याचिका पर आया।

हाईकोर्ट ने गुजरात लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया को बरकरार रखा था। बैंच ने कहा, राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब लिखित परीक्षा में प्रयासों की संख्या, आयु सीमा, अनुभव, योग्यता आदि में एससी-एसटी और एसईबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को तय मानकों में छूट मिलती है तो इस तरह चयनित उम्मीदवार पर सिर्फ आरक्षित सीट के लिए ही विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए सशर्त या बिना शर्त छूट या तरजीह संबंधी नीतियाँ बनाना पूरी तरह से राज्य सरकार का विवेकाधिकार है।

समता का सांसद रामचरण बोहरा को पत्र

आर्थिक कमजोर वर्ग(EWS)को नीट-2019 में पूरी 10 प्रतिशत सीटें दिलवायी जाए: समता आन्दोलन

जयपुर। नीट-2019 में आर्थिक कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिये जाने परसमता आन्दोलन समिति के शिष्टमण्डल ने जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा से भेंट कर नीट-2019 में राजस्थान राज्य में आर्थिक कमजोर वर्ग के अभ्यार्थियों को पूरी 10 प्रतिशत सीटें दिलवाने का अनुरोध क्मिा है। शिष्टमण्डल ने सांसद महोदय को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें नीट-2019 में ई.डब्ल्यू.एस को दिये जा रहे आरक्षण एवं सीटों के बारे में बतलाया गया।

ज्ञापन में निवेदन किया गया है कि आप यह भली भांति जानते है कि 103वें संविधान संशोधन के बाद केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा अलग-अलग अधिसूचनाएँ जारी करके आर्थिक कमजोर वर्ग(ई.डब्ल्यू.एस) के अभ्यार्थियों को शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में कुल 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है लेकिन:-

1. राजस्थान राज्य में नीट-2019 में मनमाने और अविधिक तानाशाही से उक्त 10 प्रतिशत आरक्ष्ण को कम करके दिया जा रहा है जबकि केन्द्र और मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) के आरक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए राजस्थान राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 450 अतिरिक्त सीटें दी गयी हैं। आप यह भली भांति जानते है कि राजस्थान राज्य में एम.बी.बी.एस. की कुल 2600 सीटों में से केन्द्र का 15 प्रतिशत कोटा घटाने के बाद कुल 2210 सीटें बचती है, जिनमें से आर्थिक कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) को 221 सीटें दिया जाना अनिवार्य है। लेकिन राजस्थान में आर्थिक कमजोर वर्ग(ई.डब्ल्यू.एस) को केवल 135 सीटें (94 सरकारी कॉलेजों में एवं 41 सोसायटी कॉलेजों में) ही दी गई हैं जो पक्षपातपूर्ण, अविधिक एवं अन्यायपूर्ण है।

2. ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं हास्यास्पद है कि आर्थिक कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) के अभ्यार्थियों को सोसायटी कॉलेजों में 41 पेमेन्ट सीट लेने पर मजबूर किया जा रहा है अर्थात जिनके पूरे परिवार की आय सालाना 8.00 लाख रूपये से कम प्रमाणित है उन्हें सालाना 8.18 लाख रूपये फीस भरने को मजबूर किया जा रहा है।

3. केन्द्र सरकार एवं मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग(ई.डब्ल्यू.एस) के आरक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए जो 450 अतिरिक्त सीटें राजस्थान को दी गयी है उनका वितरण सामान्य वर्ग के विरूद्ध पक्षपातपूर्ण ढंग से किया गया है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सभी वर्गों (SC/ST/OBC/MBC/ST-TSR) की सीटें बढी हैं जबकि सामान्य वर्ग की सीटें घट गयी है। अन्य किसी भी राज्य मे आर्थिक कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) के साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है।

ज्ञापन में कहा गया है कि आप श्रीमान् जयपुर शहर से सांसद हैं। और आपसे प्रार्थना की जाती है कि मेडीकल कौंसिल ऑफ इण्डिया एवं राजस्थान सरकार से अपने स्तर पर बात करके आर्थिक कमजोर वर्ग(ई.डब्ल्यू.एस) के साथ हो रहे उपरोक्त पक्षपातपूर्ण, अन्यायपूर्ण, अविधिक एवं तानाशाहीपूर्ण सीट आबंटन को तत्काल सही करवाया जावे तथा:-

(अ) आर्थिक कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) को पूरी 10 प्रतिशत सीटें अर्थात 221 सीटें आबंटित की जावे,

(ब) सोसायटी कॉलेजों में भी आर्थिक कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) को सरकारी कॉलेजों की फीस पर ही सीटें दी जावें,

(स) केन्द्र सरकार एवं मेडिकल काउन्सिल ऑफइण्डिया द्वारा राजस्थान राज्य को दी गयी 450 अतिरिक्त सीटों का आबंटन इस प्रकार से किया जावें कि अन्य वर्गों (SC/ST/OBC/MBC आदि) की सीटे जितने प्रतिशत बढी है उतनी प्रतिशत सीटें सामान्य वर्ग की भी बढे।

सांसद महोदय से मिलने वाले समता आन्दोलन समिति के प्रतिनिधि मण्डल में समता आन्दोलन के अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा, उपाध्यक्ष ऋषिराज राठौड, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह, एस.एस.सेवदा, सुरेन्द्र सिंह राठौड़, जयपुर जिलाध्यक्ष एवं सम्पादक योगेश्वर झाडसरिया शामिल थे।

सामाजिक संगठन ने सीजे से जताई चिंता

राजस्थान प्रदेश में चल रहे अनगिनत सामाजिक संगठनों में से एक चाणक्यगण समिति ने प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश को चार पृष्ठीय पत्र लिखकर अपनी चिंता से अवगत कराया है। समिति ने प्रदेश के बड़े अखबारों में छपी खबरों का हवाला देते हुये कुल छ: बिन्दुओं के आधार पर यह निवेदन किया है कि ओबीसी को आरक्षण का लाभ, एससी-एसटी क्रीमीलेयर को आरक्षण का लाभ, नीट-2019 में एनआरआई को आरक्षण का लाभ,एमबीसी को 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं दिये जाने के अलावा यह भी निवेदन किया गया है कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस)को नीट-2019 में पूरी 10 प्रतिशत सीटे दिये जाने एवं 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिये जाने का प्रश्न उठाया गया है। पत्र में सीजे से मांग की गई है कि वे विशेष खण्डपीठ बना कर एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर हमारे द्वारा उठाये गये छ: बिन्दुओं पर बाध्यकारी निर्णय देने की कृपा करे।

नीट-2019 में दिया जा रहा आरक्षण असंवैधानिक: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, एमसीआई सचिव, नीट चेयरमैन, राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सहित नीट यूजी काउन्सलिंग बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिखकर राजस्थान राज्य में नीट-2019 में दिये जा रहे आरक्षण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाये जाने का अनुरोध किया है।

पत्र में निवेदन किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह बाध्यकारी निर्देश बार-बार दिये गये है कि सभी तरह का आरक्षण मिलाकर किसी भी सूरत में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिये। कृपया नीट-2019 में राजस्थान राज्य की तथ्यात्मक स्थिति का अवलोकन करें-

(1) राजस्थान राज्य में सरकारी एवं सोसायटी कॉलेजों को मिलाकर कुल 2600 एम.बी.बी.एस. सीट में से 15 प्रतिशत केन्द्रीय कोटा घटाने के बाद 2210 सीटे बचती है। इनमें से अनारक्षित सीटे (फ्री एवं पेमेन्ट मिलाकर) केवल 776 बचती है। जो कुल 2210 सीटों का 35.11 प्रतिशत है। प्रकटत: अनारक्षित सीटे 50 प्रतिशत से लगभग 15 प्रतिशत कम है। जो अविधिक एवं असंवैधानिक होने के साथ-साथ न्यायपालिका की अवमानना भी है।

(2) वर्ष 2018 में राजस्थान राज्य में कुल 1950 सीटें थी, जिसमें से केन्द्रीय कोटा 15 प्रतिशत घटाने के बाद 1703 सीटें राज्य के पास थी। इनमें से 770 सीटें (45.21 प्रतिशत) अनारक्षित रखी गयी थी। चालू वर्ष 2019 में राज्य की कुल 2600 सीटों में से केन्द्रीय कोटा 390 सीटें घटाने के बाद 2210 सीटें बचती है। इनमें से अनारक्षित सीटें केवल 776 छोड़ी गयी है। विचित्र बात ये है कि चालू वर्ष में 507 सीटें (2210-1703) बढाये जाने के बावजूद भी अनारक्षित सीटें 45.21 प्रतिशत से घटकर 35.11 प्रतिशत रह गयी है। जो प्रकटत: अविधिक एवं असंवैधानिक होने के साथ-साथ न्यायपालिका की अवमानना भी है।

(3) वर्ष 2018 में राजस्थान राज्य की कुल 1703 सीटों में से सरकारी एवं सोसायटी कॉलेजों में अनारक्षित मेधावी बच्चों के लिए 637 फ्री सीट्स रखी गयी थी। चालू वर्ष 2019 में 507 सीटें बढाये जाने के बावजूद राज्य की 2210 सीटों में से अनारक्षित मेधावी बच्चों की सीटें केवल 625 रह गयी है जो पिछले वर्ष के मुकाबले 12 कम है। यह तथ्य पूरी तरह अविधिक, असवैधानिक एवं अवमाननाकारक होने के साथ-साथ दुर्भाग्यपूर्ण भी है।

(4) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अशोक कुमार ठाकुर के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री तक पढाई करने के बाद व्यक्ति शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं रहता है इसलिए उसे तथा उसके बच्चों को अनुच्छेद 15(4) के अधिन आरक्षण का लाभ देय नहीं है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अनारक्षित वर्ग एवं आरक्षित वर्ग की कट् ऑफमें 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर नहीं रहना चाहिये। इन न्यायिक निर्देशों की नीट-2019 में काउन्सलिंग में राजस्थान राज्य में खुली अवहेलना की जा रही है।

यह भी सर्वविदित तथ्य है कि एन.आर.आई के लिए आरक्षित 212 सीटें असंवैधानिक है। दिनांक 15.08.2018 से ओबीसी का आरक्षण 102वें संविधान संशोधन के पश्चात पूरे देश में बन्द है। अत: नीट-2019 में राजस्थान राज्य में ओबीसी एवं एमबीसी को दिया गया 21 एवं 05 प्रतिशत आरक्षण असंवैधानिक है। इस समय राज्य में एससी को दिया गया 16 प्रतिशत आरक्षण, एसटी को दिया गया 12 प्रतिशत आरक्षण एवं ईडब्ल्यूएस को दिया गया 10 प्रतिशत आरक्षण अर्थात कुल 38 प्रतिशत आरक्षण ही संवैधानिक है।

अत: पत्र में प्रार्थना की गई है कि कृपया नीट-2019 राजस्थान राज्य की काउन्सलिंग को दूबारा आयोजित करते हुये केवल 38 प्रतिशत आरक्षित सीटों एवं 62 प्रतिशत अनारक्षित सीटों के लिए ही सम्पन्न कराया जावे। पत्र में कहा गया है कि यदि आप इसमें असफल रहते है तो हमें मजबूर होकर न्यायपालिका की शरण में जाना होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

समता आन्दोलन के सदस्यों से निवेदन है कि समता ज्योति आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित करने के लिए अपने विचार, कविता, समाचार, आदि-आदि मुख पृष्ठ पर दिये ई-मेल पते पर या डाक से भेजे।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in